न्यायालय राजस्व मण्डल,मध्य प्रदेश ग्वालियर

समक्ष : एम0के0सिंह

सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 417-एक/2013 - विरूद्ध आदेश दिनांक 3-11-2012 - पारित व्दारा - अपर आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर-प्रकरण कमांक 73/अ-70/2008-09 निगरानी

गिरधारी लाल पुत्र रामदुलारे प्रजापति
ग्राम कुसनेर, पनानगर जबलपुर म0प्र0 -- आवेदक

विरूद्ध

श्रीमती एम.अरूणा देवी पत्नि भवानीसिंह
निवासी उदयनगर,रॉझी जिला जबलपुर ---अनावेदक

(आवेदक के अभिभाषक श्री रणवीर सिंह)
(अनावेदक के अभिभाषक श्री बी0के0नेपट)

आ दे श

(आज दिनांक 3 -2 -2016 को पारित)

अपर आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर व्दारा प्रकरण कमांक 73/अ-70/2008-09 अपील में पारित आदेश दिनांक 3.11.2012 के विरूद्ध यह निगरानी मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत हुई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि अनावेदक ने अति0 तहसीलदार पवानगर के समक्ष आवेदन देकर बताया कि उसके नाम खसरा नंबर 483 रकबा 0.60 हैक्टर भूमि है परन्तु

आवेदक व्दारा उस पर अतिक्रमण कर लिया है इसलिये कब्जा वापिस दिलाया जाय। तहसीलदार ने प्रकरण क्रमांक 17 अ 70/2006-07 पंजीबद्ध किया तथा सुनवाई उपरांत आदेश दिनांक 25-3-2008 पारित करते हुये आवेदक को एक सप्ताह के भीतर कब्जा छोड़ते हुये अनावेदक को कब्जा सौंपने के आदेश दिये। इस आदेश के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी जबलपुर के समक्ष अपील होने पर प्रकरण क्रमांक 101 अ-70/2007-08 अपील में पारित आदेश दिनांक 26.6.08 से अपील अस्वीकार की गई। इस आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर के समक्ष अपील क्रमांक 73/अ-70/2008-09 प्रस्तुत होने पर आदेश दिनांक 3.11.2012 से अपील अस्वीकार की गई, किन्तु कृषि भूमि पर निर्मित मकान रिक्त पर तहसीलदार के आदेश को प्रभावशील न होने का आदेश दिया गया। इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी है।

3/ निगरानी मेमो में दर्शाए गए आधारों पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन के साथ साथ अनावेदक व्दारा प्रस्तुत कास अपील के तथ्यों एंव आवेदक के अभिभाषक व्दारा कास अपील के संबंध में की गई आपत्ति आवेदन का अवलोकन पर विचार किया गया।

4/ पद-3 में उल्लेखित अभिलेख के अवलोकन उपरांत यह प्रश्न सामने आया है कि संहिता की धारा 250 के अंतर्गत कृषि भूमि एंव उसी भूमि पर सन्निर्मित मकान को कब्जे से मुक्त कराया जा सकता है ,अथवा नहीं ? तहसीलदार को मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 250 के अंतर्गत कृषि भूमि पर अनुचित रूप से बेकब्जा किये गये भूमिस्वामी का पुनःस्थापन कराने का आदेश देने हेतु अधिकृत किया गया है । भू राजस्व संहिता 1959 (म0प्र0) - धारा 250 की व्याप्ति - कृषि भूमि

एंव उस पर कृषि यॅत्र रखने - मवेशी बॉधने अथवा रहवास हेतु बनाया गया आवास - कृषि भूमि आबादी भूमि न होने से संहिता की धारा 250 के अधीन कार्यवाही की जा सकती है । (मथुरावाई विरूद्व कनाही 1984रा0नि0 6 तथा त्रिपुरारी दत्त विरूद्व पद्युमनाथ 2010 रा0नि0 232 से अनुसरित)

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है एंव अपर आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर व्दारा प्रकरण कमांक 73/अ-70/2008-09 अपील में पारित आदेश दिनांक 3.11.2012 के निष्कर्ष का अॅशभाग "कृषि भूमि पर निर्मित मकान रिक्त पर तहसीलदार का आदेश प्रभावशील नहीं होगा '' निरस्त करते हुये शेष आदेश यथावत् रखा जाता है।

(एम0के0सिह)
सदस्य
राजस्व मंडल,
मध्य प्रदेश ग्वालियर